प्रेषक

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0क0 / एन0आर0एच0एम0 / उपकेन्द्र / अनटाइड / 2013–14 / दिनांकः 26/8/2013

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपकेन्द्रों हेतु Untied धनराशि जनपदों को आवंटित किये जाने के लिए दिशा–निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक उपकेन्द्र को Untied धनराशि के रूप में प्रति वर्ष रू0 10,000.00 का अनुदान एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुदान मद में रू0 10,000.00 का प्रावधान किया जाता है। भारत सरकार से वर्ष 2013–14 की अनुमोदित पी0आई0पी0 में गत वर्ष में किये गये व्यय के आधार पर प्रस्तावित अन्टाइड धनराशि का 46 प्रतिशत एवं उपकेन्द्र हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुदान का 49 प्रतिशत की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस आधार पर अन्टाइड एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुदान मद में जनपदों को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है–

S.No.	Div	Districts	Untied Fund (Rs. In lacs)			AMG (Rs. In lacs)		
			Sub Centres B2.3			Sub Centres B3.3		
			No.of Unit	Amount Proposed	Amount Approved @46%	No.of Unit	Amount Proposed	Amount Approved @ 49%
1	Agra	Agra	383	38.30	17.62	274	27.40	13.43
2		Firozabad	220	22.00	10.12	176	17.60	8.62
3		Mainpuri	198	19.80	9.11	172	17.20	8.43
4		Mathura	205	20.50	9.43	153	15.30	7.50
5	Allahabad	Allahabad	499	49.90	22.95	281	28.10	13.77
6		Fatehpur	309	30.90	14.21	231	23.10	11.32
7		Kaushabi	166	16.60	7.64	155	15.50	7.60
8		Pratargarh	344	34.40	15.82	295	29.50	14.46
9	Aligarh	Aligarh	333	33.30	15.32	210	21.00	10.29
10		Etah	182	18.20	8.37	137	13.70	6.71
11		Hathras	194	19.40	8.92	147	14.70	7.20
12		Kasganj	163	16.30	7.50	85	8.50	4.17
13	Azamgarh	Azamgarh	493	49.30	22.68	364	36.40	17.84
14		Mau	225	22.50	10.35	222	22.20	10.88
15		Balia	366	36.60	16.84	349	34.90	17.10
16	Bareilly	Bareilly	398	39.80	18.31	352	35.20	17.25
17		Badaun	296	29.60	13.62	286	28.60	14.01
18		Pilibhit	197	19.70	9.06	168	16.80	8.23
19		Shahjahanpur	283	28.30	13.02	268	26.80	13.13
20	Basti	Basti	273	27.30	12.56	212	21.20	10.39
21		Sant Kabir Nagar	176	17.60	8.10	159	15.90	7.79
22		Siddharth Nagar	278	27.80	12.79	243	24.30	11.91
23	Chitrakoot	Chitrakoot	139	13.90	6.39	139	13.90	6.81
24		Banda	285	28.50	13.11	249	24.90	12.20
25		Hamirpur	215	21.50	9.89	210	21.00	10.29
26		Mahoba	150	15.00	6.90	148	14.80	7.25
27	Devipatan	Baharaich	310	31.00	14.26	268	26.80	13.13
28		Balampur	206	20.60	9.48	199	19.90	9.75
29		Gonda	322	32.20	14.81	262	26.20	12.84
30		Shrawasti	121	12.10	5.57	121	12.10	5.93
31	Faizabad	Faizabad	257	25.70	11.82	198	19.80	9.70
32		Ambedkar Nagar	270	27.00	12.42	144	14.40	7.06
33		Amethi (CSM Nagar)	339	33.90	15.59	339	33.90	16.61

34		Barabanki	339	33.90	15.59	339	33.90	16.61
35		Sultanpur	245	24.50	11.27	191	19.10	9.36
36	Gorakhpur	Gorakhpur	506	50.60	23.28	239	23.90	11.71
37		Deoria	315	31.50	14.49	275	27.50	13.48
38		Kushinagar	358	35.80	16.47	299	29.90	14.65
39		Maharajganj	293	29.30	13.48	160	16.00	7.84
40	Jhansi	Jhansi	326	32.60	15.00	316	31.60	15.48
41		Jalaun	277	27.70	12.74	242	24.20	11.86
42		Lalitpur	191	19.10	8.79	174	17.40	8.53
43	Kanpur	Kanpur Dehat	223	22.30	10.26	164	16.40	8.04
44		Kanpur Nagar	378	37.80	17.39	251	25.10	12.30
45		Kannauj	180	18.00	8.28	180	18.00	8.82
46		Farrukhabad	188	18.80	8.65	188	18.80	9.21
47		Etawah	162	16.20	7.45	147	14.70	7.20
48		Auraiya	157	15.70	7.22	157	15.70	7.69
49	Lucknow	Lucknow	323	32.30	14.86	231	23.10	11.32
50		Hardoi	413	41.30	19.00	265	26.50	12.99
51		Sitapur	468	46.80	21.53	286	28.60	14.01
52		Lakhimpur	371	37.10	17.07	318	31.80	15.58
53		Unnao	356	35.60	16.38	242	24.20	11.86
54		Raibareilly	268	26.80	12.33	237	23.70	11.61
55	Meerut	Meerut	315	31.50	14.49	224	22.40	10.98
56		Baghpat	200	20.00	9.20	200	20.00	9.80
57		Bulandshahar	344	34.40	15.82	202	20.20	9.90
58		G.B. Nagar	128	12.80	5.89	75	7.50	3.68
59		Ghaziabad	145	14.50	6.67	92	9.20	4.51
60		Hapur(Panchsheel nagar)	170	17.00	7.82	170	17.00	8.33
61	Moradabad	Moradabad	261	26.10	12.01	161	16.10	7.89
62		Amroha (J.P.Nagar)	169	16.90	7.77	128	12.80	6.27
63		Bijnor	343	34.30	15.78	228	22.80	11.17
64		Rampur	204	20.40	9.38	193	19.30	9.46
65		Sambhal (Bhim nagar)	216	21.60	9.94	149	14.90	7.30
66	Mirzapur	Mirzapur	251	25.10	11.55	228	22.80	11.17
67		Sant Ravidas nagar (Bhadohi)	163	16.30	7.50	143	14.30	7.01
68		Sonbhadra	170	17.00	7.82	142	14.20	6.96
69	Saharanpur	Saharanpur	342	34.20	15.73	264	26.40	12.94
70		Muzaffar nagar	286	28.60	13.16	227	22.70	11.12
71		Shamli (Prabuddha nagar)	137	13.70	6.30	114	11.40	5.59
72	Varanasi	Varanasi	306	30.60	14.08	256	25.60	12.54
73		Chandauli	248	24.80	11.41	228	22.80	11.17
74		Jaunpur	478	47.80	21.99	294	29.40	14.41
75		Ghazipur	390	39.00	17.94	393	39.30	19.26
Total			**20398**	**2039.80**	**938.31**	**16228**	**1622.80**	**795.17**

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष 2013–14 में उपकेन्द्रों के अन्टाइड फण्ड को पूर्व की तरह प्रसव की संख्या के अनुसार अवमुक्त किया जाना है। जो उपकेन्द्र एक्रिडेटिड है तथा प्रति माह 5 या अधिक प्रसव उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. द्वारा कराये जा रहे हैं, ऐसे उपकेन्द्रों को प्रथम किश्त के रूप में धनराशि इस प्रकार अवमुक्त की जाये कि उपकेन्द्र के खाते में रू0 10,000.00 से अधिक शेष न हो। उदाहरणार्थ यदि उपकेन्द्र के खाते में 31 मार्च 2013 को रू0 7000.00 शेष है तो ऐसे एक्रिडेटेड उपकेन्द्र को रू0 3000 अवमुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार नॉन एक्रिडेटेड उपकेन्द्रों को धनराशि इस प्रकार आवंटित की जाये कि उपकेन्द्रों में रू0 5,000.00 की धनराशि शेष रहें। यदि एक्रिडेटेड उपकेन्द्रों में 31 मार्च 2013 को शेष धनराशि रू0 10000.00 से अधिक है अथवा नॉन एक्रिडेटेड उपकेन्द्रों में रू0 5000.00 से अधिक धनराशि है तो इन उपकेन्द्रों को धनराशि अवमुक्त न की जाये। धनराशि आवंटन के समय जिला स्वास्थ्य समिति को उक्त मद में अनुमोदित कुल धनराशि का भी ध्यान रखा जाये। आवंटन के पश्चात शेष धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रहेगी। उपकेन्द्रों की माँग के अनुसार वित्तीय वर्ष में एक्रिडेटेड उपकेन्द्रों को अधिकतम रू0 30000.00 तक एवं नॉन एक्रिडेटेड उपकेन्द्रों को अधिकतम रू0 10000.00 तक धनराशि दी जा सकती है। यदि

आवश्यकता, जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में शेष धनराशि से अधिक है तो जनपद द्वारा राज्य स्तर से उक्त धनराशि की मांग की जा सकती है।

<u>फण्ड केवल उन उपकेन्द्रों को अवमुक्त किया जाय जहाँ प्रधान एवं उपकेन्द्र की ए.एन.एम. का संयुक्त खाता खुला हो</u>।

उपकेन्द्र स्तर पर प्रधान एवं ए.एन.एम. के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले गये खाते में इलैक्ट्रॉनिकली/बैंक एडवाइस के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों को धनराशि रू0 30,000.00 की सीमा तक आवश्यकतानुसार अवमुक्त किया जा सकता है। **मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारियों की मासिक बैठक में इसका प्रत्येक माह अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्कतानुसार उपकेन्द्र के अन्टाइड फण्ड हेतु मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 को मांग पत्र प्रेषित करेंगे।**

उपकेन्द्र द्वारा व्यय की गयी धनराशि के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखें जायें। प्रत्येक वर्ष जनपद के 2 से 3 प्रतिशत उपकेन्द्र के अन्टाइड खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी द्वारा अवश्य कराया जाय। सत्यापन की संकलित रिपोर्ट को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को अवश्य प्रेषित की जाय।

प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु उपकेन्द्र की वार्षिक कार्ययाजना तैयार की जायेगी। कार्ययोजना बनाने के लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक उपकेन्द्र पर औषधियों/उपकरणों/अभिलेखों की एक स्टैन्डर्ड लिस्ट तैयार कर ली जाय। उपकेन्द्रों पर स्टैन्डर्ड लिस्ट के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना बनाकर समुचित व्यवस्था ए.एन.एम. द्वारा अपने अन्टाइड फण्ड से प्रत्येक समय सुनिश्चित रखी जाय। इस हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी उपकेन्द्रों का अनुश्रवण करेंगे तथा ए.एन.एम. को सहयोग प्रदान करेंगे। वार्षिक कार्ययोजना का जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। अनुमोदन के उपरान्त ही धनराशि स्थानान्तरित की जाय।

अन्टाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

- उपकेन्द्र में परदे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बल्ब इत्यादि की व्यवस्था।
- उपकेन्द्र में प्रसव पश्चात् सप्लाई हेतु
- आकस्मिक परिस्थितियों में रोगियों को संदर्भन इकाई तक ले जाने हेतु।
- महामारी के दौरान नमूना जाँच की लाने ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- उपकेन्द्र में पट्टी इत्यादि के क्रय हेतु।
- डिसइन्फैक्टैन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान हेतु।
- ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मोबिलाइजेशन एवं सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों हेतु।

वार्षिक अनुरक्षण अनुदान

- उपकेन्द्र स्तर पर भवनों में लघु परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य जैसे– गुप्तता हेतु परदे की व्यवस्था, नल की मरम्मत एवं बल्ब की व्यवस्था इसके अतिरिक्त लघु मरम्मत के कार्य जैसे– फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।
- प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
- सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
- चारदीवारी/फेन्सिंग कार्य।
- जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत साफ–सफाई इत्यादि)।
- जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना एवं मरम्मंत कार्य।
- रंगाई–पुताई।
- बिजली से सम्बन्धित कार्य।
- बायो मेडीकल बेस्ड मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निःसंक्रामक) की व्यवस्था।
- अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
- अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण।
- बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान।
- उपकेन्द्र में तदर्थ साफ–सफाई जैसे प्रसव के तुरन्त बाद की सफाई।

नोट–धनराशि के उपभोग के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित ना की गयी हो।

<u>वित्त पोषण</u>

उपकेन्द्र का वित्त पोषण मिशन फ्लैक्सीपूल के मद से किया जायेगा। जिसका अंकन मिशन फ्लैक्सीपूल के बिन्दु बी <u>2.3 पर किया जायेगा</u>। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर नीचे दी गयी तालिका में उपकेन्द्र पर खोले गये खातों के अनुसार धनराशि मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 कार्यालय द्वारा अवमुक्त की जा रही है। यदि

आपके संज्ञान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका औचित्य देते हुये अतिरिक्त धनराशि की मांग के प्रस्ताव को मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 को भेजना सुनिश्चित करें।

Acticity No B 2.3: Untied fund for Sub Centers
Total Budget: Rs. 2052.10 Lacs @ 10, 000/- x 20521
VIM Indicatrs: 1. Comprehensive Annual plan submission by Mo I/C through CMO to KHS for its approval 2. Fund utilized as per approved annual plan
Verification of Indicators: 1. Submission of annual plan 2. Report of fund utiliztion as per plan.
Mode of Disbursement: 1. There will be 100% release to KHS for 1370 Sub Centers @ Rs. 10,000/- and 50 % release to 19151 Sub Center @ Rs. 5000. DHS will further release to Sub Center as above on submission of annual plan of Sub Center by th CHC/PHC and duly approved by the DHS. 2. If further Funds are required for Sub Center, on submission of SOE in time and on recomondation of DHS further funds will be released. 3. fund will be transferred from CHC/PHC a/c electronically/ through Bank advisory into the joint account of ANM & Pradhan.
Guidelines: 1. For funds to be utilized, joint bank account of ANM & Pradhan is essential. 2. All sub centers will prepare their annual plan for expenditure under untied grant and get the approval of DHS. 3. All expenditure has to be done as per approved plan.

अतः उपकेन्द्रों हेतु अन्टाइड एवं कॉरपस ग्राण्ट के लिये कार्ययोजना बनाने तथा जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन के उपरान्त ही नियमानुसार व्यय कराना सुनिश्चित करायें। इसके अतिरिक्त आप अवगत हैं कि सी0ए0जी0 द्वारा कतिपय जनपदों में रोगी कल्याण समिति की धनराशि के उपयोग में गम्भीर आपत्तियां उठाई हैं। सी0बी0आई0 द्वारा जाँच भी की जा रही है। अतः यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे ऑडिट द्वारा आपत्ति की जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जायेगी तो व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देश मिशन निदेशक,एन0आर0एच0एम0 के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/कम्यू.प्रो./आर.के.एस./2013–14/08/1809 दिनांक 24.7.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांकः मा0शि0क0/एन0आर0एच0एम0/उपकेन्द्र/अनटाइड/2013–14/4585-1 तददिनांकः

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा व्यय विवरण समय से मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

22.8.13

महानिदेशक
परिवार कल्याण